प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक : 15 अक्टूबर, 2019

विषय: आर0सी0एस0 एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा सेवाओं के भुगतान हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 132/ना0उ0नि0/2019 दिनांक 31 मई, 2019 व पत्र संख्या- 189/ना0उ0नि0/2019 दिनांक 25 जून, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आर0सी0एस0 स्कीम में चयनित आगरा एयरपोर्ट पर सुरक्षा सेवाएँ (सी0आई0एस0एफ0 बल की तैनाती) प्रदान करने व सुरक्षा उपकरणों के Hiring charges के लिए तथा कानपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा सेवाएँ (सी0आई0एस0एफ0 बल की तैनाती) प्रदान करने, सुरक्षा उपकरणों के Hiring charges के लिए तथा अग्निशमन सेवाओं, अग्निशमन उपकरणों के Hiring charges के लिए के लिए निम्नलिखित सारणी के अनुसार बकाया बिल के भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है:-

बिल की अवधि	**धनराशि**
आगरा एयरपोर्ट:	
अक्टूबर, 2018 से दिसम्बर, 2018 (सुरक्षा सेवाएँ + उपकरणों के Hiring charges + GST)	रू0 1,76,62,869
जी0एस0टी0 एरियर (08.12.2017 से 30.09.2018)	रू0 86,03,265
कानपुर एयरपोर्ट:	
अक्टूबर 2018 से दिसम्बर, 2018 (सुरक्षा सेवाएँ + उपकरणों के Hiring charges + GST)	रू0 95,31,812
दिसम्बर, 2018 तक अग्निशमन सेवाओं के मद में बकाया धनराशि तथा जी0एस0टी0 एरियर	रू0 55,14,829
योग	रू0 4,13,12,775
कुल (A)	**रू0 4,13,12,775**

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आगरा एयरपोर्ट:	
जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 (सुरक्षा सेवाएँ + उपकरणों के Hiring charges+ GST)	रू0 1,74,49,244
कुल (B)	**रू0 1,74,49,244**
कानपुर एयरपोर्ट:	
जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 (सुरक्षा सेवाएँ + अग्निशमन सेवाएँ + उपकरणों के Hiring charges + GST)	रू0 1,06,30,672
कुल (C)	**रू0 1,06,30,672**
महायोग (A+B+C)	**रू0 6,93,92,691**

2- भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को भारत सरकार, राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य निष्पादित एम0ओ0यू0 के प्रस्तर- 4.2.2(c) के प्राविधान के अनुसार आर0सी0एस0 हवाईअड्डों पर सुरक्षा तथा अग्निशमन सम्बन्धी सेवायें राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जानी हैं | अत: श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में एम0ओ0यू0 के प्राविधानों के अनुरूप आर0सी0एस0 स्कीम में चयनित आगरा तथा कानपुर एयरपोर्ट पर उक्त सारणी के अनुसार सुरक्षा सेवाएँ (सी0आई0एस0एफ0 बल की तैनाती) प्रदान करने, सुरक्षा उपकरणों के Hiring charges तथा अग्निशमन सेवायें प्रदान करने, अग्निशमन उपकरणों के Hiring charges की धनराशि कुल रू0 6,93,92,691 (रूपए छ: करोड़ तिरानबे लाख बानवे हजार छ: सौ इक्यानवे मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रू0 6,93,92,691 (रूपए छ: करोड़ तिरानबे लाख बानवे हजार छ: सौ इक्यानवे मात्र) अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

I. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में संबंधित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/ प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा |
II. धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा |
III. स्वीकृत धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा |
IV. आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा |

3/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

V. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है|

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखा-लेखाशीर्षक " 3053-नागर विमानन-01 हवाई सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-42 अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- ई-7-764/दस-2019, दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं|

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

पृ0सं0: 84/2019/1134(1)/छप्पन-2019-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
5- निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003.
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।